सूचना का अधिकार अधिनियम,2005

संख्या-54/सू0अ0-03/84-डे0ई0-14-03-सू0अ0/2014

प्रेषक,

धर्मचन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव/जनसूचना अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 03 फरवरी, 2014

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदक को सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित आवेदक श्री शिवानन्द मिश्रा, निवासी-म0नं0-27-सी, मोहल्ला अहमदागंज, जिला फतेहपुर की अपील दिनांक 28-1-2014 की छायाप्रति मय संलग्न सहित भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निगम के प्रथम अपीलीय अधिकारी आप है तथा आवेदक श्री शिवानन्द मिश्रा द्वारा मॉगी गयी वांछित सूचना निगम से संबंधित है। अत: सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 की धारा-6(3) के अन्तर्गत आवेदक की अपील दिनांक 28-01-2014 आपको इस आशय के साथ अन्तरित की जा रही है कि कृपया आवेदक द्वारा अपने पूर्व पत्र दिनांक 11-12-2013 में मॉगी गयी वांछित सूचना उन्हें दो दिवस के अन्दर उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा अधिनियम की धारा-5(5) के अन्तर्गत आप उत्तरदायी होगें।

संलग्नक :: यथोक्त।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव/जनसूचना अधिकारी।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि श्री शिवानन्द मिश्रा, निवासी-म0नं0-27-सी, मोहल्ला अहमदागंज, जिला फतेहपुर को उनकी अपील दिनांक 28-01-2014 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि वांछित सूचना सीधे प्रथम अपीलीय अधिकारी/अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर भवन, लखनऊ से प्राप्त करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव/जनसूचना अधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in/